

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक D/1404 /
II-18-5/13

जबलपुर, दिनांक 21 /03/2023

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में दिनांक 23.03.2023 से दिनांक 21.04.2023 तक कार्यालयीन निर्धारित समय सायं 5.00 बजे से आधा घण्टा पहले अर्थात् सायं 4.30 बजे कार्यालय छोड़ने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इससे उच्च न्यायालय के कार्य में बाधा नहीं आयेगी एवं कार्य को अद्यतन रखने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/1405 /
II-18-5/13

जबलपुर, दिनांक 21 /03/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर (म.प्र.)
 2. रजिस्ट्रार प्रशा./न्या 1 एवं 2/डी.ई./व्ही./आई.एल./कम-पी.पी.एस./लेबर ज्यूडिशरी /कार्य एवं अधोसंरचना एवं परीक्षा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 3. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.) की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
 4. ओ.एस.डी. कम्प्यूटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 6. डिप्टी रजिस्ट्रार समस्त....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, समस्त..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 8. एडमिनि. ऑफि(न्या.)/इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को निर्देशित किया जाता है कि उनकी शाखा में पदस्थ मुस्लिम कर्मचारियों से रोज़ा रखने के आधार पर कार्यालय छोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त करें।
 9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/आई.एल.आर एवं परीक्षा महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 11. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 12. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार(प्रशा.)